रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-28012021-224758 CG-DL-E-28012021-224758

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 378]

No. 378]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 28, 2021/माघ 8, 1942 NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 28, 2021/MAGHA 8, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2021

सं. 56 / 2015-2020

विषयः कोयले की आयात नीति में संशोधन और आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची—I (आयात नीति) के अध्याय 27 में नीतिगत शर्त संख्या 7 को शामिल करने के संबंध में।

का.आ. 415(अ).—समय—समय पर यथा—संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015—2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पिटत विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 एवं 9 के तहत प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा भारत के राजपत्र (असाधारण) में का. आ. 4654(अ) दिनांक 22 दिसम्बर, 2020 के तहत प्रकाशित अधिसूचना सं. 49/2015—2020 दिनांक 22.12.2020 के पैरा 3 में निम्नानुसार संशोधन करती है:

- 3. सीआईएमएस 01.04.2021 से प्रभावी होगा अर्थात इस अधिसूचना में यथा—सूचीबद्ध मदों के लिए 1.4.2021 को या इसके पश्चात् फाइल किया गया प्रविष्टि बिल सीआईएमएस द्वारा अधिशासित किया जाएगा। ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा 15.02.2021 से प्रभावी रुप से उपलब्ध होगी।
- 2. अधिसूचना का प्रभावः सीआईएमएस 01.04.2021 से प्रभावी होगा और ऑनलाइन पंजीकरण 15.02.2021 से उपलब्ध होगा। इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. एम-4708 / 1902 / 2002 / पीसी-2(क) / ई-1884]

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

568 GI/2021 (1)

टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना सं. 36/2015–2020, दिनांक 17 जनवरी, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्या का.आ. 172 (अ) दिनांक 17 जनवरी, 2017 के तहत प्रकाशित हुई थी और संशोधित अधिसूचना संख्या 49/2015–2020 दिनांक 22.12.2020 के तहत भारत के राजपत्र (असाधारण) में का. आ. 4654 (अ) दिनांक 22 दिसम्बर, 2020 के तहत प्रकाशित हुई।

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

## **NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th January, 2021

No. 56 /2015-2020

Subject: Amendment in import policy of Coal and incorporation of Policy Condition No. 7 in Chapter 27 of ITC (HS), 2017, Schedule – I (Import Policy).

- **S.O. 415(E).**—In exercise of powers conferred by Section 3 & 9 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends Para 3 of Notification No.49/2015-2020 dated 22.12.2020 published in the Gazette of India (Extra-ordinary) vide S.O.4654 (E) dated 22<sup>nd</sup> December 2020 as under:
  - 3. **The CIMS will be effective from 01.04.2021**, i.e., Bill of Entry filed on or after 01.04.2021 for items as listed in this Notification shall be governed by CIMS. The facility of online registration will be available with effect from 15.02.2021.
- 2. **Effect of the Notification:** CIMS will be effective from 01.4.2021 and online registration will be available from 15.02.2021

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. M-4708/1902/2002/PC-2(A)/E-1884]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade & Ex- officio Addl. Secy.

**Note:** The principal notification No. 36/2015-2020, dated the 17th January, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number S.O. 172 (E), dated the 17th January, 2017 and as amended vide Notification No.49/2015-2020 dated 22.12.2020 published in the Gazette of India (Extra-ordinary) vide S.O.4654 (E) dated 22<sup>nd</sup> December 2020.